प्रकरण संख्या 58 / 19 RCMS ID-2019 / 00221 ता0रजु 13.09.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. कल्ला आयु 26 साल
2. लौहरे आयु 30 साल

} पि. परिमाल जाति मीना निवासी पालड़ी का पुरा कैमकच्छ अरौरा सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज. — अपीलाण्ट

बनाम

1. हल्के आयु 58 साल
2. हेमराज आयु 50 साल
3. किस्तूरी आयु 60 साल पत्नि परिमाल
4. बाबूली पत्नी घोटे आयु 56 साल
5. कला आयु 54 साल
6. सुआबाई आयु 52 साल
7. कमला आयु 48 साल
8. गीता आयु 40 साल
9. भौती उर्फ लीला आयु 35 साल
10. मुकेशी उर्फ भूरो आयु 32 साल
11. गुलबाई पत्नी स्व. परिमाल आयु 85 साल
12. तहसीलदार मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) —रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 15.12.2004 बाबत् नामांतरकरण संख्या 1414 ग्राम रोंधई तहसील मण्डरायल न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल जिसकी रूह से नामांतरकरण स्वीकृत किया है तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 1414 दिनांक 15.12.2004 बाके ग्राम रोंधई पटवार हल्का रोंधई तहसील मण्डरायल जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि

निर्णय दिनांक 15.12.2004 बाबत् नामांतरकरण संख्या 1414 ग्राम रोंधई तहसील मण्डरायल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल रेस्पोण्डेण्ट नंबर 12 खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 15.12.2004 बाबत् नामांतरकरण संख्या 1414 ग्राम रोंधई पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है और जैर अपील निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट नं. 1 का गलत रूप से कारू दर्ज किया गया है व अपीलाण्ट नं. 2 का नाम गलत रूप

से लालाराम दर्ज किया है जबकि अपीलाण्ट नं. 1 का नाम कल्ला है व अपीलाण्ट नं. 2 का नाम लौहरे है, जो सही है। यही नाम अपीलाण्ट के समस्त कागजात सरकारी परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में अंकित है। अपीलाण्ट वक्त नामांतरकरण नाबालिग रहे हैं। जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 25.08.2019 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने पर हुई है एवं नकल दिनांक 02.09.2019 को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी नहीं रही है। अतः दिनांक 15.12.2004 से 02.09.2019 तक का समय जानकारी के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील प्रत्यर्थीगण ने कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया एवं विवादित नामांतरकण संख्या 1414 दिनांक 15.12.2004 ग्राम रोंधई तहसील मण्डरायल में नाम संशोधित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड के अनुसार अपीलाण्ट्स का नाम कल्ला व लौहरे अंकित है। रेस्पोण्डेण्ट्स को विवादित नामांतरकरण में अपीलाण्ट्स का नाम संशोधन करने के आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये हम अपीलाण्ट्स स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। आलोच्य नामांतरण संख्या 1414 निर्णय दिनांक 15.12.2004 लालाराम, काडू पि. परिमाल के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। नामांतरकरण संख्या 1414 दिनांक 15.12.2004 में अपीलार्थी का नाम संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मण्डरायल को आदेश दिये जाते हैं कि नामांतरकरण संख्या 1414 दिनांक 15.12.2004 में अपीलार्थी का नाम संशोधित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: